

FORM No. III

फर्द अहकाम



(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

किसम मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा नम्बर 9/2020

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
19.03.2021	<p>पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। सीराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निरतारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2097 रकबा 1.8700 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का हाथीदेह के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर उक्त भूमि खाली है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दरतावेजात यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">शयोसहाय दास बनाम् भरतादास वगै० विविध प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा नम्बर 9/2020</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का हाथीदेह द्वारा दिनांक 19.06.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2097 रकबा 1.8700 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भूअ.निरीक्षक फीस 900/- रुपये एवं दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का हाथीदेह द्वारा दिनांक 19.06.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सीव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहसीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) </p> <p style="text-align: center;">यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) </p>	